दिनांक 10.05.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के विकास खण्ड बिहार स्थित "ग्राम मुजेढ़ी पाइप पेयजल योजना" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.05.2016 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के विकास खण्ड बिहार के ग्राम मुजेढ़ी स्थित पाइप पेयजल योजना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़, श्री सौरभ श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी बिहार, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर जल निगम विभाग के अधिशाषी/सहायक/अवर अभियन्ता में से काई भी अधिकारी उपस्थित नहीं रहा मात्र एक कर्मचारी श्री वीरेन्द्र कुमार ओझा जो पम्प संचालक के पद पर तैनात रहे। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के उक्त स्थल के निरीक्षण की सूचना पूर्व से ही दूरभाष के माध्यम से जल निगम के अधिकारियों को शिविर कार्यालय द्वारा दे दी गयी थी, किन्तु खेद का विषय है कि पूर्व सूचना के बावजूद भी निरीक्षण के समय जल निगम का कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही करने हेतु पत्रालेख तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. निरीक्षण के दौरान मौके पर गया कि श्री श्री वीरेन्द्र पटेल पूर्व ग्राम प्रधान एवं श्री अशोक कुमार सुत स्व0 बच्चू लाल के घर के सरकारी नल लगा हुआ है जिसमें टोटी न लगाये जाने के

2

कारण पानी लगातार बह रहा है। और पानी टंकी के पास भी कई स्थानों पर पाइप लीक होने के कारण पानी बह रहा है। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में ही पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि जनपद की समस्त पाइप पेयजल योजनाओं का शत–प्रतिशत संचालन करें तथा जिन योजनाओं में कोई खराबी हो उसकी तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त टोटियों को आज सायं तक स्वयं के पर्यवेक्षण में लगवाना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3. उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को जनपद में स्थापित समस्त पाइप पेयजल योजनाओं एवं उनके संचालन हेतु तैनात आपरेटरों के सम्बन्ध में नियत प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में ही पत्र प्रेषित करते हुए अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित सूचना नियत प्रारूप पर 02 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(8) *कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।*

संख्या : 787/शिविर–2016 दिनांक : मई 12, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय कार्य मण्डल, जल निगम, इलाहाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिलाधिकारी कुण्डा, प्रतापगढ़।
5. जिला विकास अधिकारी/परियोजन निदेशक, जि0ग्रा0वि0अभि0, प्रतापगढ़।
6. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. खण्ड विकास अधिकारी बिहार/अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।